



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला – श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01498–261202,261227

क्रमांक:–के.रा.फा./जैत./बीज विद्यायन/2019–20/

दिनांक:–04.03.2020

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर(राज.) मे रबी 2019–20, जायद–2020 व खरीफ–2020 के अनुमानित 80,000 क्विंटल बीजो का विद्यायन/ पैकिंग के कार्य हेतु सीलबन्द निविदाये आंमत्रित की जाती है। सीलबन्द निविदाये दिनांक 30.03.2020 को 01.00 PM तक प्राप्त की जा सकेगी जो कि उसी दिन उपस्थित ठेकेदरो के समक्ष अपराह्न 02.00 PM खोली जायेगी। फॉर्म, नियम एवम् शर्ते किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से साय 5.00 तक 236 रूपये (GST सहित) जमा करा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती हैं।

उप महाप्रबंधक(फार्म)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला – श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01498-261202,261227

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Central State Farm, Jetsar

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01498-261202, 261227

E-mail – csf.jetsar@indiaseeds.com

विधायन संयंत्र सं0 21, 200 व 225 पर प्रोसेसिंग / पैकिंग कार्य का ठेका लेने के लिए नियम व शर्तें

1. ठेकेदार बोरियों में किसी भी प्रकार के हुक का प्रयोग नहीं करेगा, यदि वह हुक का प्रयोग करता हुआ पाया गया तो बोरी की कीमत ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
2. विधायन/पैकिंग कार्य में सम्मिलित सभी कार्य की दरें रॉ-बीज/पैक बीज पर ही देय होगी। निविदादाता का धरोहर राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र प्रति प्रोसेसिंग प्लांट) का बैंक ड्राफ्ट जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", जैतसर के नाम देय हो, फार्म खजान्ची के पास जमा करवानी होगी।
3. बीज की किस्म बदलने से पूर्व मशीन के आस-पास व गोदाम के अन्दर से हर दाने को पुर्ण रूप से साफ करवाना होगा, जिसका कोई भी भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
4. बीज विधायन केन्द्र के बाहर ब्लोअर से निकले कचरे को साथ-साथ हटाकर, टूटा हुआ दाना बोरियों में भरकर ग्रेड बनाकर सीलकर दूसरे गोदाम में रखना होगा, जिसका भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
5. ठेका मंजूर होने पर ठेकेदार को फार्म द्वारा दिये गये समय के अन्दर कार्य शुरु करना होगा।
6. अगर ठेके का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो उसका ठेका बिना किसी नोटिस के रद्द किया जा सकता है तथा धरोहर राशि जब्त कर कार्यवाही भी की जा सकती है।
7. खाली बोरियों, कट्टों व थैलियों को अच्छी तरह झाड़कर, पलटकर 25-25 के बण्डल बनाकर गोदाम में कार्य के साथ-साथ रखना होगा।
8. संसाधन व पैकिंग मैटेरियल ठेकेदार के आदमी द्वारा गोदाम से प्लांट पर लाना होगा तथा पैकिंग व प्रोसेसिंग का कार्य शुरु करना होगा।
9. टेण्डर में दिये गये सभी कार्यों की दरें देना अनिवार्य है अन्यथा कार्य की दर नहीं होने पर उस कार्य को ठेकेदार द्वारा करना अनिवार्य होगा एवं उस कार्य का भुगतान फार्म द्वारा नहीं किया जायेगा।
10. बीज विधायन, पल्लेदारी तथा पैकिंग का कार्य रबी 2019-20, जायद तथा खरीफ 2020 में उत्पादित सम्पूर्ण उत्पाद के लिए है। अतः सम्पूर्ण कार्य समय पर करके देना अनिवार्य है।
11. ठेकेदार व उसके मजदूरों द्वारा चोरी, मारपीट जैसी हरकत के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
12. मजदूरों की कमी के कारण यदि किसी भी कार्य को फार्म के मजदूरों से करवाना पड़ा या किसी अन्य ठेकेदार से ज्यादा दर पर करवाना पड़ा तो उसका पैसा भी ठेकेदार को देना होगा। यह पैसा ठेकेदार के बकाया बिल या अग्रिम धरोहर राशि से काट लिया जायेगा।
13. बीज विधायन प्लांट जरूरत पड़ने पर तीन पारियों में 24 घण्टे चलाना होगा। इसके लिये कम से कम 25 मजदूर प्रतिदिन प्रति प्लांट पर हर हालत में रखने होंगे अन्यथा फार्म अपने मजदूरों से शिफ्ट चलाने को बाध्य होगा और इन मजदूरों को वेतन का भुगतान ठेकेदार के बिल से काट कर किया जायेगा।
14. मजदूरों को लाना व समय पर कार्य करवाने की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
15. काम के समय दिन या रात को ठेकेदार के मजदूर फार्म की बोरियों, कट्टों या थैलियों को सोने के लिये बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे।
16. ठेकेदार को काम के समय कार्यस्थल पर हमेशा मौजूद रहना होगा।
17. किसी कारणवश: भुगतान मिलने में देरी होती है, तो ऐसे हालात में ठेकेदार को कार्य जारी रखना होगा।
18. मजदूरों को पर्याप्त संख्या में कार्य के दौरान, संसाधन संयंत्र पर उपलब्ध रहना होगा।

पार्टी के हस्ताक्षर:-.....

19. बीज व अण्डर साईज की तुलाई सही व निश्चित मात्रा के अनुसार होनी चाहिये अन्यथा किसी भी बोरी, कट्टे व थैली को तोलकर चैक किया जा सकता है और अगर तोल सही न मिली तो पूरा का पूरा लॉट दुबारा बिना भुगतान के तौलना होगा।
20. कम से कम आठ-दस टांकों के साथ मजबूती से सूतली से बीज एवं अबीज की बोरियों को सही ढंग से सिलना होगा व बीज को फैलने व बिखरने से बचाना होगा।
21. ट्राली व ट्रक में बीज व अबीज को भरते व खाली करते समय बीज को बिखरने से बचाना होगा व बिखरे हुए को साफ करना होगा।
22. तिरपाल, कैरेट, पैकिंग का सामान गोदाम से ठेकेदार को अपने ही मजदूरों से मंगवाना होगा व पैकिंग के बाद गोदामों की साफ-सफाई भी करनी होगी।
23. बाल व श्रम अधिनियमानुसार छोटे बच्चों व शराबी मजदूरों को प्लाण्ट के अन्दर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
24. प्लाण्ट प्रभारी, शिफ्ट प्रभारी, मैकेनिक, हैल्पर या अन्य फार्म के कर्मचारी/अधिकारी व फार्म पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करने पर ठेकेदार का ठेका रद्द करके अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
25. ठेकेदार को अपने पास कार्य पर लगाये गये मजदूरों की रोजाना हाजिरी लगाकर शिफ्ट प्रभारी को देनी होगी।
26. ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
27. ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे ठेकेदार के नाम नहीं कर सकता है।
28. ठेकेदार व उसके मजदूर प्लान्ट या गोदाम में बीड़ी, सिगरेट नहीं पीयेगें तथा ज्वलनशील पदार्थ बीज विधायन संयंत्र व बीज गोदाम के अन्दर नहीं लायेगें।
29. प्रतिदिन काम की समाप्ति पर गोदाम या प्लान्ट के शटर बन्द करने होंगे।
30. माल उतारते व लादते समय कटे व खुले कट्टे, बोरियों को ठेकेदार अपने मजदूरों से दुबारा सील करके लादना होगा।
31. ठेकेदार के मजदूरों द्वारा हुक से बोरियों, कट्टों व थैलियों के फटने तथा चट्टे के ऊपर से बोरी गिर जाने के कारण फट जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से काट कर की जायेगी।
32. ठेकेदार को कार्य पर लगे मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान हर हालत में करना होगा। किसी भी शिकायत की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
33. विधायन संयंत्रों पर प्रतिदिन कम से कम 500 –600 क्विं. रॉ बीज की ग्रेडिंग प्रति प्लांट करने हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे।
34. ठेकेदार को ठेका मिलने के बाद रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर निदेशक महोदय, केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर (राजस्थान) से अनुबन्ध करना होगा।
35. प्लान्ट पर कार्य के दौरान मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
36. ठेकेदार को अपना PAN नम्बर देना होगा तथा कार्य के अनुसार आयकर की कटौती बिलों में से की जायेगी।
37. प्रमाणीकरण संस्था के फसलवार समयावधि के अन्दर ही विधायन कार्य हर हाल में पूर्ण करना होगा।
38. विधायन/पैकिंग का कोई भी कार्य बिना शिफ्ट इंचार्ज अथवा विधायन प्रभारी के संज्ञान में लाये बिना यदि किया जाता है तो ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है।

पार्टी के हस्ताक्षर:-.....

39. ठेकेदार को अपने स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।
40. ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने का प्रयोग अवश्य करना होगा।
दवा की पुड़िया बनाते एवं बीज का उपचार करते समय बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं बीमार मजदूरों को काम पर नहीं लगायेगा तथा शिफ्ट इन्चार्ज द्वारा बताये निर्देशों का पालन करेगा।
41. प्लांट 200 एवं 225 का ठेका अलग अलग न भरकर दोनो प्लांटो का एक साथ ही भरना पड़ेगा।
42. बैकलोजर एवं भार मापक यंत्र ठेकेदार को काम चालू करने पर सही हालत में सौप दिए जाएंगे तथा काम सम्पूर्ण होने पर सही हालत में लिए जाएंगे।
43. ठेकेदार व उसका प्रतिनिधि तथा मजदूरों का नाम व पता कार्य पर लगाने से पूर्व लिखित में प्लांट प्रभारी को देना होगा।
44. ग्रेडिंग व पैकिंग में कोई भी कार्य सही या पूर्ण नहीं किया गया हो तो उस मात्रा का भुगतान नहीं किया जाएगा व निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
45. ठेकेदार के अगले बिल का भुगतान, पिछले महीनों में ESI, EPF की कटौती व जमा करने के चालान की प्रति व मजदूरों को वेतन का भुगतान करने का विवरण प्रस्तुत करने उपरान्त ही संभव होगी।
46. ठेकेदार द्वारा मजदूरों को जो भी वेतन दिया जाएगा, वह राजस्थान सरकार द्वारा निम्न वेतन से कम नहीं होना चाहिए।
47. प्रत्येक मजदूर कि उमर 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
48. विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर (राज.) का ही सर्वमान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र, श्री विजयनगर न्यायलय रहेगा।
49. दिए गए कार्यों में अगर कोई कार्य नहीं होती है तो उसके अनुसार कटौती की जाएगी।
50. MSME से पंजीकृत संस्था/ठेकेदार को अमानत राशि में छूट देय होगी।
51. तीनों खण्डों के रॉ-बीज की ग्रेडिंग विद्यायन प्रभारी की दिशानिर्देशानुसार करनी होगी।
52. पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर अथवा उनके द्वारा नामित एकल आर्बिटेटर का निर्णय अंतिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा।
53. उपर दिये गये परिदिष्ट में किसी भी प्रकार के नियमों की परिभाषा, व्याख्या/वर्णन/अनुवाद निदेशक द्वारा दी जाएगी जो सर्वमान्य होगी।
54. टेण्डर फार्म जमा करने के पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता।
55. ठेकेदार को अपनी संस्था का दो वर्ष का टर्न ऑवर प्रमाण पत्र देना होगा।

पार्टी के हस्ताक्षर:-.....

ठेकेदार का नाम:-.....

पिता का नाम:-.....

गांव व पोस्ट:-.....

जिला:-.....

14- शपथ पत्र-

हम-.....(फर्म का नाम) शपथ लेते हैं कि राष्ट्रीय बीज निगम के नियमों व शर्तों को स्वीकार करते हैं। आगे हम शपथ लेते हैं कि सभी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, उदाहरण के लिए:-

- a) श्रम ठेका (रेगुलेशन व एबोलिशन) नियम, 1970
- b) न्यूनतम वेतन अधिनियम
- c) कामगार का क्षतिपूर्ति अधिनियम
- d) औद्योगिक विवाद का प्रावधान अधिनियम, 1947
- e) पी.एफ. तथा ई.एस.आई. अधिनियम / दुकान तथा स्थापना अधिनियम
- f) अन्य दूसरे नियम कारयदे समय समय पर लागू होने वाले

15- ई.एम.डी जमा राशि

- 1 डी. डी. संख्या.....दिनांक.....
- 2 जारीकर्ता बैंक व शाखा का नाम.....

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

टेलीफोन नंबर.....

कंपनी की मोहर.....

संलग्न की सूची:-

- 1- धरोहर राशि के लिए डी.डी.
- 2- पंजीकरण की कॉपी
- 3- सत्यापित पंजीकरण की कॉपी
- 4- सर्विस टेक्स पंजीकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि
- 5- दो प्रतिलिपि वार्षिक आयकर विवरण
- 6- प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाण पत्र पी.एफ. तथा ई.एस.आई.
- 7- अनुभव प्रमाण पत्र



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला – श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01498-261202,261227

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Central State Farm, Jetsar

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01498-261202, 261227

E-mail – csf.jetsar@indiaseeds.com

क्रमांक—जैत./एस0पी0ओ0/विधायन/2019-20

दिनांक— 04.03.2020

टेण्डर फार्म

रबी 2019-20, जायद/खरीफ-2020

क्र.सं.	विधायन कार्य	पैकिंग साइज	दर प्रति क्विंटल (रुपये)
1	रॉ-सीड के विधायन का कार्य करना: — जिसमें रॉ सीड की बोरी चट्टे से उठाकर फीडिंग स्थल पर डालना या ट्रक/ट्रॉली में लोड करके फीडिंग स्थल पर डालना, फीडिंग स्थल से रॉ-सीड को एलीवेटर में डालना, प्रोसेसिंग मशीन से निकाले गये बीज की बोरियों पर मार्का/बुकरम का लेबल लगाकर, भरना, तोलना एवं सिलना। सीड का उसी स्थान पर या अन्य गोदाम में ट्रक/ट्रॉली में लोड करके बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना तथा अण्डर साइज को बैग में भरकर तोलकर सिलना, ट्रक/ट्रॉली में लोड करना, गोदाम में या अन्य जगह पर चट्टा लगाकर तिरपाल से ढकना इत्यादि।	20-50 किग्रा	
2	रिप्रोसेसिंग का कार्य करना: — विधायन संयंत्र प्रभारी के निर्देशानुसार यदि आवश्यकता हुई तो ग्रेडर एवं ग्रेविटि सैपरेटर से निकले अंडरसाइज बीज का पुनः विधायन करना।	20-50 किग्रा	
3	बीज की पैकिंग का कार्य करना: —जिसमें बीज की बोरियों को लोड करके दूसरे गोदाम में ले जाना या बीज की बोरियों को चट्टे से उठाकर दूसरी जगह रखना, बोरी खोलना, विभिन्न साइज की थैलिया /कट्टों पर रबड़ की मोहरों से मार्का लगाना या मार्कर कलम से लिखना। रबड़ की मोहर से टैग, लेबल थैलियाँ बनाना। बीज को विभिन्न साइज की थैलियों /कट्टों /बोरियों में भरना, तोलना, लीफलेट, कल्चर तथा दवा की पुडिया बनाकर डालना। टैग, लेबल मिलाकर थैलियों/कट्टों को सिलना, बीज की थैलियों/कट्टों में सील लगाना, सील प्लायर से दबाना। छोटी थैलियों को बड़ी बोरी में भरना, सिलाई करना तथा ट्रक/ट्रॉली में लोड करके दूसरे गोदाम में ले जाकर चट्टा लगाना या उसी स्थान पर चट्टा लगाना।	01 किग्रा से कम 01-05 किग्रा 06-10 किग्रा 11-20 किग्रा 21-40 किग्रा	
4	एडवांस पैकिंग (अग्रिम पैकिंग) करना :- जिसमें रॉ-सीड के विधायन के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सीधा ही पैक करना जिसमें क्र.सं. 01 व 02 के सभी कार्य भी सम्मिलित हैं।	20-40 किग्रा	
5	स्वचालित पैकिंग मशीन से पैकिंग करना: —	01 किग्रा से कम 01-10 किग्रा 11-40 किग्रा	
6	फेल बीज का पुनः विधायन करना: — जिसमें क्र.सं. 01 व 02 के सभी कार्य सम्मिलित हैं।	20-50 किग्रा	
7	मूंगफली रॉ-सीड का विद्याचन करना, मशीन व हाथ द्वारा जिसमें क्र.सं. 01 के सभी कार्य सम्मिलित हैं।	20-50 किग्रा	

पार्टी के हस्ताक्षर:—.....

क्र.सं.	विधायन कार्य	पैकिंग साइज	दर प्रति क्विंटल (रुपये)
8	रीवेलीडेशन का कार्य करना: —जिसमें छोटी थैलियों को बोरी में से निकालकर हर थैली के टेग पर रीवेलीडेशन की मोहर लगाना तथा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद फिर से बोरी में भरना, सिलना तथा चट्टा लगाना या 10 से 40 किग्रा के बैग का चट्टा लगाना, टेग पर रीवेलीडेशन की मोहर लगाना तथा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद फिर से चट्टा लगाना।	01 किग्रा से कम 01-05 किग्रा 06-10 किग्रा 11-20 किग्रा 21-40 किग्रा	
9	लोडिंग अथवा अनलोडिंग करना: — ट्रॉली अथवा ट्रक में लोडिंग करना अनलोडिंग कर गोदाम में चट्टा लगाना या किसी भी गोदाम से लोडिंग कर ट्रक / ट्राली में लादना। ये दरें विपणन विभाग के लिए मान्य होगी।	20-50 किग्रा	
10	अलग से चट्टा लगाना: —जिसमें बिना लोडिंग या अनलोडिंग कर पीठ से चट्टा लगाना।	20-50 किग्रा	
11	खाली बोरियों का 25-25 की संख्या में बण्डल बनाकर बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना।	20-50 किग्रा	
12	बीज उपचारित करना: — अ:— हाथ द्वारा बीज उपचारित करना। ब:— मशीन द्वारा बीज उपचारित करना।	प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल	
13	स्पाइरल मशीन से सीड को निकालना: —जिसमें सीड को गोदाम से ट्रक/ट्रॉली में लोड कर या उसी स्थान से स्पाइरल मशीन पर डालना, स्पाइरल मशीन से सीड को निकालना, स्टेण्डर्ड बैग बनाकर तौलना, सिलना, उसी स्थान पर या ट्रक/ट्राली में लोड करके अन्य गोदाम में चट्टा लगाना तथा स्पाइरल मशीन से निकले खरपतवार बीज/ अण्डर साइज को बोरियों में भरकर, तौलकर सिलना, ट्रक या ट्रॉली में लोड करके बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना।	20-50 किग्रा	
14	बल्क पैकिंग का कार्य करना: —जिसमें बोरियों को ट्रक/ट्राली में लोड करके दूसरी जगह ले जाना, हर बैग में टैग सिलना फिर ट्राली में लोड कर गोदाम में ले जाकर चट्टा लगाना।	20-50 किग्रा	
15	मोबाइल प्लांट से अण्डर साइज/बीज की सफाई करना: — जिसमें क0सं0 01 के सभी कार्य सम्मिलित हैं।	20-50 किग्रा	
16	पैक बीज पर अलग से मोहर लगाना: —जिसमें चट्टा तोड़कर छोटी थैलियों को बोरी से निकालकर थैली टैग व लेवल पर मोहर लगाकर चट्टा लगाना।	प्रति क्विंटल	
17	स्टीचिंग (सिलाई) का कार्य करना: — विधायित बीज को पैकिंग के बाद सिलाई का कार्य दिये गये साइज में सिलाई मशीन द्वारा करना होगा।	01 किग्रा से कम 01-05 किग्रा 06-10 किग्रा 11-20 किग्रा 21-40 किग्रा	
18	कैरी ओवर बीज का पुनः विधायन करना एवं पैकिंग: —कैरी ओवर बीज के रीवेलीडेशन के समय आवश्यकतानुसार पैक बीज का पुनः विधायन करना एवं पैक करना जिसमें बीज को चट्टे से उठाकर फिडींग स्थल पर डालना, विधायन करना एवं पैक करना	01 किग्रा से कम 01-05 किग्रा 06-10 किग्रा 11-20 किग्रा 21-40 किग्रा	

पार्टी के हस्ताक्षर:—.....

ठेकेदार का नाम:—.....

पिता का नाम:—.....

गांव व पोस्ट:—.....

जिला:—.....